न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/58/2014

उनवान

1. किशना पिता हजारीभाट निवासी माताजी का खेडा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट/प्रतिवादी

बनाम

1. रतन लाल पिता बन्ना भाट निवासी माताजी का खेडा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
2. गुड्डी बेवा भैरू भाट निवासी माताजी का खेडा
3. बुद्धिप्रकाश पिता भैरू भाट नाबालिग बबिलायत माता संरक्षक गुड्डी बेवा भैरू भाट निवासी माताजी का खेडा
4. बालमुकुन्द पिता बन्ना भाट निवासी माताजी का खेडा
5. हंसराज पिता बन्ना भाट निवासी माताजी का खेडा
6. मु0 बब्बू पुत्री बन्ना भाट निवासी माताजी का खेडा
7. मोमल पुत्री बन्ना भाट निवासी माताजी का खेडा
8. बदाम बेवा बन्ना भाट निवासी माताजी का खेडा
9. अणदी लाल पिता स्वरूपा भाट निवसी माताजी का खेडा मृतक के कायम मुकाम :–

   9/1 मोमल पत्नि स्व0 अणदीलाल भाट निवासी माताजी का खेडा

   9/2 मोनू पुत्र अणदीलाल भाट निवासी माताजी का खेडा जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती मोमल पत्नि अणदीलाल

   9/3 नीरज पुत्र अणदीलाल भाट निवासी माताजी का खेडा जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती मोमल पत्नि अणदीलाल भाट निवासी माताजी का खेडा
10. मु0 प्रेम बेवा शंकर भाट निवासी माताजी का खेडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

11. देवराज पिता शंकर भाट निवासी माताजी का खेडा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा जरिये प्राकृतिक माता प्रेम बेवा शंकर भाट
12. सोनू पुत्र शंकर भाट निवासी माताजी का खेडा तहसील जहाजपुर जरिये प्राकृतिक माता प्रेम बेवा शंकर भाट
13. रूकमा बेवा स्वरूपा भाट निवासी माताजी का खेडा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा
15. उपपंजीयक , जहाजपुर

रेस्पोडेण्ट्स /प्रतिवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के प्रकरण संख्या 121/2013 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.12.2013

अधिवक्तागण :—

1. श्री मनीष कांटिया, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री जे सी दाधीच ,अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 12.9.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 7 /वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा माताजी का खेडा पटवार हल्का फलासिया तहसील जहाजपुर में आराजी खसरा संख्या 1223 रकबा 4 बिस्वा, 1224 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, 1346 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा, कुल किता 3 कुलिया रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा स्थित है, जो जमाबंदी संवत 2066—2069 में प्रतिवादी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

संख्या 1 के व प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के पिता–दादा, ससुर, व दादाजी मृतक स्वरूपा व भौजा नाऔलाद फौत हो गया उनके खाते में दर्ज है एवं संवत 2032 से 2035 में आराजी नम्बर 1222 रकबा 5 बिस्वा, आता चाह में हजारी का 1/2 हिस्सा है। ग्राम हाडोला पटवार हल्का जामोला तहसील जहाजपुर की कृषि आराजी खसरा संख्या 12 रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा स्थित है जो वर्तमान जमाबंदी संवत 2068 से 2071 में मृतक स्वरूपा, प्रतिवादी संख्या 1 के ख्वाते में 1/3 हिस्सा दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के परिवा का सजरा निम्न है :–

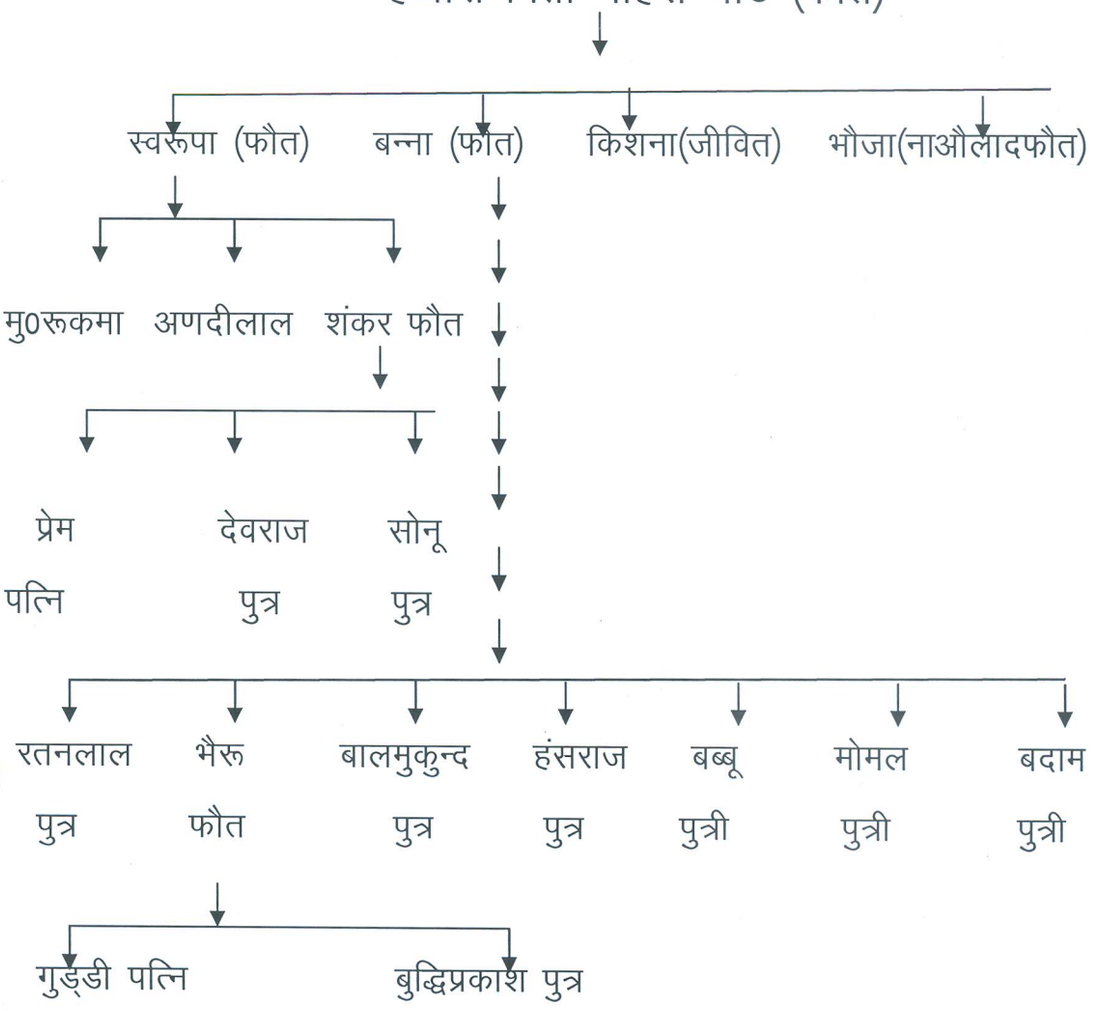

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2. वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजियात में से 1/3 हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का पैतृक होकर हजार पिता नाहरा भाट की खातेदारी की थी। हजारी पिता नाहरा भाट फौत हो जाने पर खाता संख्या हजारी के उत्तराधिकारी (प्रथम सिड्यूल) के अनुसार स्वरूपा, बन्ना, किशना, भौजा के नाम खाता रद्दोबदल होना चाहिये था परन्तु तात्कालीन राजस्व रेकार्ड अधिकारियों ने बिना कोई जांच पडताल किये हजारी के स्वरूपा , धन्ना, किशन, भौजा पुत्र होते हुए मात्र स्वरूपा किशन, भौजा के नाम जरिये इन्तकाल नम्बर 250 व 101 हजारी पिता नाहरा भाट से विरासत से स्वरूपा, किशना, भौजा पिता हजारी भाट के नाम खाता रद्दोबदल कर दिया गया जो नैसर्गिक न्याय के खिलाफ होकर गलत खाता रद्दोबदल हुआ जबकि हजारी के फौत होने के पश्चात वाद वादग्रस्त आराजी नम्बर माताजी का खेडा पटवार हल्का फलासिया तहसील जहाजपुर में आराजी खसरा संख्या 1223 रकबा 4 बिस्वा, 1224 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, 1346 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा, कुल किता 3 कुलिया रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 1222 रकबा 5 बिस्वा, आता चाह में वादीगण का 1/3 हिस्सा व ग्राम हाडोला पटवार हल्का जामोला तहसील जहाजपुर की कृषि आराजी खसरा संख्या 12 रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा मे 1/9 हिस्सा पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं।

3. चूंकि वादीगण के पिता, ससुर, व दादा बन्ना लाल हजारी का पुत्र होकर उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी का वारिस था इसलिए वादीगण वाद पत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात में 1/3 हिस्सा व वाद पत्र के चरण संख्या 2 में वर्णित आराजियात में 1/9 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है। इसी अनुसार वादीगण का वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण के हिस्से में काश्त करने से बेदखल न करें न अपने नोकर एजेण्ट से करावे एवं न कुए से पानी लाने से रोके।

4. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

5. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में वाद संस्थित होने का अपीलार्थी को कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ है। तामील कुनिन्दा ने रेस्पोडेण्ट्स से मिलकर गलत सम्मन न्यायालय में पेश किये है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 8/वादीगण ने वास्तविक तथ्यों को छिपाकर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाधीन डिक्री प्राप्त की है। चूंकि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 8 तक के पिता व ससुर व दादा बन्ना पुत्र हजारी अपने जीवनकाल में ही जवारा के गोद चला गया था। जिससे उसका अपनी पैतृक भूमि में कोई हक अधिकार नहीं रहा था। बन्ना ने अपने जीवन काल में भी कभी अपने हक हिस्से की मांग नहीं की व बन्ना के गोद चले जाने से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उसका पैतृक सम्पति पर कोई अधिकार नहीं रहा व न ही रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 9 का कोई हक अधिकार ही रहा है एवं न ही कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी थे। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 9 से 13 द्वारा अपील नही करने से उन्हें रेस्पोडेण्ट प्रतिवादी के रूप मे पक्षकार बनाया गया है। अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

9. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की प्रोपर तामील हुई है। अपीलार्थी की भाभी रूकमा को नोटिस की तामील हुई है। अधीनस्थ न्यायालय में वाद काफी अर्से तक लंबित रहा था। अपीलार्थी को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिये था।

10. प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि नामान्तरकरण की नकल में जवारा को रजामंद लिखा है परन्तु उसके हस्ताक्षर नहीं है। वह अनुपस्थित था। बन्ना के गोद जाने संबंधी कोई दस्तावेज अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। जबकि गोद जाने में सामाजिक रिति–रिवाज से गोद लेने एवं गोद देने की प्रक्रिया का निर्वहन किया जाता है। ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। जिससे बन्ना का गोद जाना प्रमाणित होता हो। कोई गोदनामा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। बन्ना भोजा का भाई है। भोजा ला औलाद फौत हुआ था। उसकी जायदाद में भी बन्ना का हक हिस्सा बनता है। भोजा का 1/3 हिस्सा वादग्रस्त आराजी में था। बन्ना भोजा की मृत्यु के बाद गोद गया या

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पूर्व में गोद गया । यह तथ्य अपीलार्थी साबित नहीं कर पाया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिये था। जो उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे। अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपने तर्को की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण डब्ल्यू एल सी राजस्थान 2018 (2) पेज 711 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

11. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1 से 8/वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत किया था। वाद पत्र संस्थित होने के उपरान्त दिनांक 2.5.2013 को प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये थे। अपीलार्थी किशना आत्मज हजारी को जो नोटिस जारी किये गये उसकी पुश्त पर नोटिस प्राप्ति पर रूकमा देवी की निशानी अंकित है। जिसमें पुत्र की पत्नि को दिये जाने का अंकन किया गया है। उक्त सम्मन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है। उक्त नोटिस की पुश्त पर तामिल रिपोर्ट से पूर्व कांट–छांट की गई है। चूंकि मूल वाद में पक्षकारों के हक हितों अंतिम रूप से उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, दस्तावेज का अवलोकन करने के उपरान्त गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना वांछित होता है। अपीलाधीन मामले में अपीलार्थी को नोटिस की प्रोपर तामील भी नहीं कराई गई थी। उसके बावजूद उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये थे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

12. अपीलार्थी ने दौरान विचारण अपील दिनांक 13.7. 2017 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर उसके साथ जमाबंदी की प्रति प्रस्तुत कर उसे रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया । अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने प्रार्थना पत्र खारज किये जाने का निवेदन किया । चूकि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी के साथ जो जमाबंदी प्रस्तुत की है वह राजस्व रेकार्ड होकर प्रकरण से संबंधित दस्तावेज है। जिसे न्यायहित में रेकार्ड पर लिया जाना उचित होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी स्वीकार कर प्रस्तुत दस्तावेज को रेकार्ड पर लिया जाता है।

13. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड आदेशिका के अवलोकन से अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किय जाने की पुष्टि होती है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। परन्तु अपीलाधीन मामले में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

14. अतः अपील अपीलार्थी आंशिका रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.12.2013 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, राजस्व रेकार्ड, का अवलोकन कर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जावे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.10.18 को उपस्थित रहें।

15. निर्णय आज दिनांक 12.9.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

12/9/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा